कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 1205 / FP/UK/ROAD/41674/2019 देहरादूनः दिनांकः 21 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के प्रस्तावित नोडखाल–माला कि0मी0 7 से कोटा मोटर मार्ग (लम्बाई–12.050 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वांछित 7.465 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् पी0एम0जी0एस0वाई0 दुगड्डा को प्रत्यावर्तन। Online Proposal No - FP/UK/ROAD/41674/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0,एन0पी0सी0सी0, पी0एम0जी0एस0वाई0 दुगड्डा (पौड़ी गढ़वाल) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **7.465** हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून एवं निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि Rajaji Tiger Reserve के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में NBWL की अनुमति भी प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
20/10/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/41674/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–पौड़ी।
6. उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0,एन0पी0सी0सी0, पी0एम0जी0एस0वाई0 दुगड्डा (पौड़ी गढ़वाल)।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के प्रस्तावित नोडखाल–माला कि0मी0 7 से कोटा मोटर मार्ग (लम्बाई–12.050 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वांछित 7.465 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् पी0एम0जी0एस0वाई0 दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No - FP/UK/ROAD/41674/2019)

जनपद–पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के प्रस्तावित नोडखाल–माला कि0मी0 7 से कोटा मोटर मार्ग (लम्बाई–12.050 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वांछित 7.465 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में **1.05** हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.415 है0 सिविल सोयम भूमि अर्थात कुल **7.465** है0 वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–पौड़ी/ उप निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून एवं निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि Rajaji Tiger Reserve के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में NBWL की अनुमति भी प्रस्ताव में संलग्न है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः (D. J. K. Sharma)
APCCF & NODAL OFFICER (FC)
(UTTARAKHAND, DEHRADUN)

तिथि : 20/10/2020
स्थान : देहरादून